न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0)
बाराबंकी

<u>विशेष आपराधिक वाद संख्याः 216/2018</u>

कमलावती रावत बनाम गया प्रसाद वर्मा आदि।

<u>28.6.2019</u>

पत्रावली पेश हुयी।

प्रार्थिनी की ओर विपक्षी गया प्रसाद वर्मा, नारेन्द्र कुमार वर्मा, अशोक कुमार, बीरेन्द्र कुमार, धीरज कुमार, नीरज कुमार के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि दिनांक 15.5.2018 को प्रार्थिनी ग्राम प्रधान के द्वारादी गयी लैट्रिन अपनी जमीन पर समय करीब 5 बजं शाम बनवा रही थी कि विपक्षी गया प्रसाद वर्मा ने विरोध किया जिस पर वह प्रधान को बलाया लायी प्रधान की बात न मानने पर विपक्षी ने 100 नम्बर पर फोन किया थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया, प्रार्थिनी थाने पर गयी विपक्षीगण नहीं गये। जब प्रार्थिनी थाने से वापस अयी तो सभी विपक्षीगण ने उसे जाति सूचक मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी ओर कहा कि साली पासिन तुम्हारी लैट्रिन नहीं बनाने देगे। उनकी थाने पर पहुंच है। गाली देने से मना करने पर सभी विपक्षी उसे मारने के लिए लाठी डण्डा लेकर उसे मारने उसके दरवाजे पनर आये। जब वह डर वश अपने घर के अन्दर घुस गयी तब सभी विपक्षीगण ने उसके घर में घुसकर लातघूसों व डण्डों से उसे मारना शुरू कर दिया। उसकेश शोर पर उसके जेठ सुखमी लाल व देवरानी व जेठानी रामादेवी व उसकी लड़की दौड़कर आयी व गांव के अन्य तमाम लोग आ गये जिन्होंने बीच बराव कराया। विपक्षीगण के मारने से उसके शरीर पर काफी चोटें आयी ।

समर्थन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत स्वयं परिवादिनी परीक्षित हुयी है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अन्तर्गत सुखमीलाल एवं मंजू कुमारी को परीक्षित किया गया हैं।

प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

परिवाद के कथनों की सम्पुष्टि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत स्वयं परिवादी के बयान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अन्तर्गत सुखमीलाल एवं मंजू कुमारी के बयान तथा पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से होती है। ऐसी दशा विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 452, 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति

अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1)(आरएस) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध परिलक्षित है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>–आदेश–</u>

विपक्षीगण सादिक अली, रामलाल, राजेश, नीरज एवं कमला देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा धारा 147, 452, 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1)(आरएस) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिये समन आहूत किया जाये।

पत्रावली दिनांक .7.2019 को पेश हो।

दि0–28.6.2019

(अनुपमा गोपाल निगम)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0अधि0/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।